



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

E-Mail ID:rajpr\_deplan@rediffmail.com

Tel & Fax: (0) 0143-2385027

क्रमांक:एफ.4( )परावि/आप्र/या.पं.वि.यो.(GPDP)/2015-16/1696 जयपुर, दिनांक: 10/11/2015

-::संशोधित आदेश ::-

विभागीय आदेश क्रमांक:एफ.4( )परावि/आप्र/या.पं.वि.यो.(GPDP)/2015-16/1555 जयपुर, दिनांक: 5.10.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर समन्वित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार करने, उसका क्रियान्वयन एवं समीक्षा करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) का गठन निम्नानुसार किया था। इन आदेशों में संशोधन कर निम्नानुसार ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) का पुनः गठन किया जाता है:-

1. सरपंच	-	अध्यक्ष
2. नोडल प्रधानाध्यापक	-	सदस्य
3. कृषि पर्यवेक्षक	-	सदस्य
4. ए.एन.एम.	-	सदस्य
5. आगनबाड़ी कार्यकर्ता(भुख्यालय)	-	सदस्य
6. पटवारी	-	सदस्य
7. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी	-	सदस्य
8. पूर्व जनप्रतिनिधि	-	सदस्य
9. ग्राम सचिव	-	सदस्य सचिव

यह समिति ग्राम पंचायत स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वयन का कार्य करेगी तथा समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा।

संयुक्त शासन समिति  
(जिला आयोजना)

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- जिला कंलकटर, जिला -समस्त।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-रामस्त।
- मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ-समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा-समस्त।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-समस्त।
- महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति-समस्त।
- ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत-समस्त।

संयुक्त शासन समिति  
(जिला आयोजना)